6. प्रारम्भिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	शहर	
01	इन्दौर	10	छिंदवाडा	19	नीमच	28	मुरैना	37	श्योपुर	46	बुरहानपुर
02	उज्जैन	11	जबलपुर	20	पन्ना	29	रतलाम	38	सतना	47	डिण्डोरी
03	उमरिया	12	झाबुआ	21	बडवानी	30	राजगढ	39	सागर	48	अनूपपुर
04	कटनी	13	टीकमगढ	22	बालाघाट	31	रायसेन	40	सिवनी	49	अलीराजपुर
05	खण्डवा	14	दतिया	23	बैतूल	32	रीवा	41	सीधी	50	सिंगरोली
06	खरगौन	15	दमोह	24	भिण्ड	33	विदिशा	42	सीहोर	51	आगर मालवा
07	ग्वालियर	16	देवास	25	भोपाल	34	शहडोल	43	हरदा	52	निवाड़ी
08	गुना	17	धार	26	मण्डला	35	शाजापुर	44	होशंगाबाद		
09	छतरपुर	18	नरसिंहपुर	27	मंदसौर	36	शिवपुरी	45	अशोक नगर		

नोट :- आवेदक परीक्षा शहर कोड सावधानी पूर्वक देखकर भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा ।

<u>शहर केंद्र आबंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-</u>

अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आबंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा । शहर केंद्र आबंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- **केवल मध्य प्रदेश के निवासियों हेतु**
  - वर्तमान पता - इसका प्रमाण (शासन द्वारा मान्य (देखें परिशिष्ट- ..... बिन्दु ...)) आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जावे
  - परीक्षा शहर- यह आटोमेटिक निम्नानुसार भरे जावेंगें :-
    - प्रथम आवंटन - वर्तमान पते का जिला
    - द्वितीय आवंटन - वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय
    - तृतीय आवंटन - स्थायी पते का जिला
    - चतुर्थ आवंटन - स्थायी पते का संभाग मुख्यालय

टीप:- आवेदक को उपरोक्त क्रम मे परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जावेगें किन्तु परीक्षा केन्द्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केन्द्र आवंटित किये जा सकेगें । केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा ।

- **अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर मे से दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जावेगा।**

7. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

1 ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी, जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2 ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

3 जिला/ क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है । अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में पहले चयनित किया जायेगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है ।

8. आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु संगणना तिथि 01.01.2020

वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जावेगा एवं वह आयु-सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जावेगी उस आयु सीमा मे आने वाले अभ्यर्थियों को वर्दीधारी पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

आयुसीमा में देय छूट हेतु परिशिष्ट- "क" देखें।